

नूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम कोर्ट) हेम. बालासा आयुक्त

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सेनी**

मुन्नी उन्वार **राजपूत सख्त सिंह**
बनाम

का वादत नाम **दुरही**
सूचना नंबर :- **141/2021**
निर्णय दिनांक :- **03.12.2021**

वादी की ओर से **सख्त** को व प्रतिवादी की ओर से **पैतलु राम**
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **03.12.2021** **श्री राहुल सेनी**
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष प्रथम निपटारे के
लिए पेश होने पर आवेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि **वादी कारावा**
स्त्रीकार किराज पत्रकार कृषि सुमि शशी मुनरी सर की जमाबंदी
के जमा नं 38 पर अंकित सुमन कुजी मंगलराम के प्यानपा
मुन्नी कुजी मंगलराम अंकित कान के अदेश दिए जाते हैं।
वही जमा नं 38 पर अंकित सुमन कुजी मंगलराम के प्यानपा
मुन्नी कुजी मंगलराम अंकित कान के अदेश दिए जाते हैं।
वही जमा नं 38 पर अंकित सुमन कुजी मंगलराम के प्यानपा
मुन्नी कुजी मंगलराम अंकित कान के अदेश दिए जाते हैं।
वही जमा नं 38 पर अंकित सुमन कुजी मंगलराम के प्यानपा
मुन्नी कुजी मंगलराम अंकित कान के अदेश दिए जाते हैं।

अह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय को मुद्रा लगाकर



03/12/21

(**राहुल सेनी**)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
<ol style="list-style-type: none"> वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अदेश के लिए स्टाम्प ... खर्च पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निवहन-व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की नामिन 	<ol style="list-style-type: none"> शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निवहन-व्यय आदेशिका की नामिन कमिश्नर की फीस
जोड़	जोड़



1246
नं 10 04/12/2021